लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

Ref:- BRLPS/LSBA/Accts/62/2018/081 Date: 04.05.18

प्रेषक :

राजीव कुमार सिंह, बि. प्र. से.

राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), बिहार ।

विषय : "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" कार्यक्रम से सम्बंधित आधारभूत कार्यों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में अवगत हैं कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने की दिशा में दिनांक 02-04-2018 से दिनांक 10-04-2018 तक **"सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह"** कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम हेतु मुख्य सभा स्थल एवं लगभग 15,000 स्वछग्रहियों के आवासन हेतु टेंट सिटी स्थल पर आधारभूत संरचना एवं सुबिधाओं का कार्य **मे. लल्लूजी एंड संस, अहमदाबाद** के द्वारा पूर्व अनुमोदित मापदंडो एवं मानकों के अनुसार किया जाना था । उक्त एजेंसी के साथ हुए एकरारनामा के अनुसार किये जाने वाले कार्यो के सत्यापन हेतु कार्य-सूची इस कार्यालय के पत्रांक 821 दिनांक 28-03-2017 एवं पत्रांक 821 दिनांक 06-04-2018 द्वारा पूर्व में हस्तगत करायी गयी है ।

मे. लल्लूजी एंड संस, के द्वारा किये गए कार्यो की परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता के भौतिक सत्यापन हेतु जिला प्रशासन, पूर्वी चंपारण के आदेश संख्या 848 दिनांक 16-03-2018 के द्वारा बिभिन्न कार्यों का श्रेणीकरण करते हुए अलग अलग कोषांग का गठन किया गया था तथा प्रत्येक कोषांग के लिए नोडल पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारियों तथा सहयोगी पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था । इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा भी इस कार्य के लिए पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था ।

अतः, अनुरोध है, कृपया जिला प्रशासन के स्तर पर गठित कोषांग/समिति द्वारा किये गए स्थल निरीक्षणों / भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करने का निदेश सम्बंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी को देने की कृपा करें ताकि तदनुसार उक्त एजेंसी के भुगतान के दावों एवं विपत्रों का अंतिम रूप से निष्पादन किया जा सके ।

विश्वासभाजन

4/5/18

(राजीव कुमार सिंह)

राज्य समन्वयक